न्यायालय उप जिलाधिकारी (सदर) आगरा।

वाद सं0 108/11–12

साईनाथ विकास समिति
द्वारा आकाश अग्रवाल बनाम उ0प्र0 सरकार

अ0धारा–143उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0
मौजा–कुण्डौल
तह0 व जिला– आगरा

प्रमाणित नकल आदेश दिनांक 11-11-11 मय तहसील आख्या, नजरी न

प्रार्थी साईनाथ विकास समिति द्वारा आकाश अग्रवाल पुत्र जयप्रकाश अग्रवाल नि0 91 कावेरी बिहार फेस–1 राजपुर चुंगी शहर आगरा द्वारा मौजा कुण्डौल तह0 व जिला आगरा की स्थित गाटा सं01669 रकवा 0.8150हे0 व 1670 रकवा 0.6470हे0 भूमि को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ, अकृषिक/आबादी घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

न्यायालय के आदेश दि0 01.11.11 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को जॉच हेतु तहसीलदार सदर आगरा को भेजा गया। तहसीलदार सदर आगरा द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल एवं ना0तहसीलदार से स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय परीक्षण कराकर उनकी आख्या दिनांक 07.11.2011 अपनी संस्तुति आख्या दिनांक 08.11.2011 प्रस्तुत की। आख्या में उल्लेख किया गया है कि आवेदक प्रा0पत्र में उल्लिखित भूमि संक0भूमिधर दर्ज कागजात है। आवेदक का कब्जा है। प्रार्थी एकल खातेदार है। धारा 176 के अन्तर्गत बटवारे की जरूरत नही है। उल्लिखित भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्रफल हेतु प्रा0पत्र प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत भूमि के पास अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बन रहे है। आस–पास आबादी बनी है। आबादी हेतु होने वाली भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति की पटटे की भूमि नही है। प्रश्नगत भूमि का किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। प्रश्नगत भूमि में गॉव सभा, रा0 अस्थान, नगर निगम आदि की भूमि की सीमा का अतिक्रमण नही है। प्रश्नगत भूमि किसी महायोजना में प्रस्तावित नही है। प्रश्नगत भूमि कृषि,मत्स्य सबंर्धन, पशुपालन,कुक्कुट पालन,बागवानी आदि के प्रयोग में नही आ रही है। प्रश्नगत भूमि में पक्का निर्माण कार्य हो रहा है,को उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0 अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत आकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की है।

तहसील की उक्त आख्या के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध नियम 135(1) की सूचना क्षेत्रीय लेखपाल, ना0तहसीलदार एवं तहसीलदार सदर आगरा द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित किया गया है। साथ ही स्थल का नजरी नक्शा पीली रोशनाई स्याही से प्रदर्शित किया गया है को, क्षेत्रीय लेखपाल ना0तहसीलदार एवं तहसीलदार सदर द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित किया गया है। नकल खतौनी सन् 1418फ0–1423फ0 में प्रार्थी का नाम संकमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। व नकल खसरा सन् 1418फ0,1419फ0 तथा प्रार्थी का शपथ पत्र व फोटो संलग्न कर भेजा है। चूंकि तहसील आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि वर्तमान में कृषि, पशुपालन, मत्सय, कुक्कुटपालन एवं बागवानी का कार्य नही किया जा रहा है। व तहसील आख्या के साथ संलग्नक शपथपत्र एवं स्थलीय फोटोग्राफ से सन्तुष्ट होते हुए उक्त प्रश्नगत भूमि की खाता सं0361 गाटा सं01669 रकवा 0.8150हे0, व गाटा सं01670 रकवा 0.6460हे0 कुल 2किता रकवा 1.4210हे0 मा0गु0 38.00रू0 धारा 143 उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0 अधि0 के सपठित नियम 135(3) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। तहसील आख्या के साथ संलग्नक उक्त आदेश का अंग रहेगें। तदनुसार प्रख्यापन जारी हो। पत्रावली बाद आ0कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

11.11.11

(अनिल कुमार)
उप जिलाधिकारी (सदर)
आगरा

नकल सही है
मिलान सही है

... का नाम ..... आकाश अग्रवाल
... का दिनांक 25-4-16
प्रार्थना पत्र की संख्या 6775
... . 26-4-16
... . 82/-
... 6580 ...
... निरीक्षण ...
... दिनांक 26-4-16

Secretary
Sai Nath Vikas Samiti
AGRA

ATTESTED
... Gazetted Officer, Distt. ...
AGRA